57

...ालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०– M-25 /2019

धारा–107 द०प्र०सं०

झारखण्ड सरकार बनाम परमेश्वर महुवा वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
	अभिलेख सं0–एम 25 /2019, में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी सोनाहातु के अप्राथमिकी सं०– 08/19 दिनांक– 27-03-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि लोक सभा, चुनाव 2019 के दौरान अशान्ति फैलाने की संभावना है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 03/04/19 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। 28/03/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)। 28/03/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	

	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
03-05-19	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। दिनांक 14-05-19 को रखें। (हस्ताक्षर) 03/05/19	
14-05-19	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष क्रमांक 01, 02, 03, 05, 06, 07 उपस्थित क्रमांक 04 अधिवक्ता हाजरी दिनांक 25-05-19 को रखें। (हस्ताक्षर) 14/05/19	
25-05-19	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। लोक सभा चुनाव 2019 शांति पूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। (हस्ताक्षर) 25/05/19	

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.14 15:29:06 +05:30
Location: 10.93.79.5